कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755–2674318, 2674337, फैक्स : 0755–2766315

E-mail : pccfwl@mpforest.org

क्रमांक / वन्यप्राणी / 2016 / संरक्षण / 123 / 182 भोपाल, दिनांक 7-1-2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) सिंह परियोजना, ग्वालियर।
4. संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल।
5. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी।
6. वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी) कूनोपालपुर अभयारण्य, श्योपुर।
7. वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी) नौरादेही अभ्यारण्य, सागर।
8. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), सामान्य वनमंडल, मध्यप्रदेश।

विषयः– जहरीले कीटनाशकों के सेवन से मोर अथवा अन्य वन्यप्राणियों की मृत्यु होने पर कार्यवाही किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत ऐसे कई प्रकरण प्रकाश में आये है कि जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जहरीले कीटनाशकों के सेवन से वन्यप्राणी विशेषकर मोरों की मौत हुई है। ऐसे प्रकरण में सामान्यतः संबंधित कृषकों को आरोपी मानकर कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। जबकि ऐसा भी संभव है कि कृषक द्वारा किसी वन्यप्राणी को हानि पहुंचाने का उद्देश्य ना रहा हो और अपनी फसल की सुरक्षा हेतु कीटनाशक का उपयोग किया गया हो।

अतः यह उचित होगा कि इस संबंध में कीटनाशक उत्पादकों में भी चेतना जागृत की जाये एवं उनसे यह अपेक्षा की जाये कि ऐसे कीटनाशक का क्षेत्र में प्रदाय न हो, जिससे कि वन्यप्राणियों के जीवन को कोई खतरा पैदा हो। अतः कीटनाशक के सेवन से मोर एवं अन्य वन्यप्राणियों की मृत्यु होने पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए :–

1. जिस जिल में खेती हेतु उपयोग में लाए गए कीटनाशक के कारण मोर अथवा अन्य वन्यप्राणियों की मृत्यु हुई हो, उस जिले के कलेक्टर एवं उपसंचालक कृषि के साथ बैठक आयोजित की जायें।
2. बैठक में यदि यह स्पष्ट होता है कि कोई कीटनाशक द्वारा मोर अथवा अन्य वन्यप्राणियों की मृत्यु हुई है, तो संबंधित कीटनाशक निर्माता को लेख किया जाये कि ऐसे कीटनाशकों का वितरण जिलें अथवा क्षेत्र विशेष में न किया जाये।
3. यदि इसके बाद भी कीटनाशक निर्माणकर्ता कम्पनी द्वारा कीटनाशक का विपणन एवं विक्रय जारी रखा जाता है और मोरों अथवा अन्य वन्यप्राणियों की मृत्यु कीटनाशक के सेवन से होती है तो संबंधित कीटनाशक निर्माता के विरूद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जा सकता है।

7.1.16

(रवि श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / वन्यप्राणी / 2016 / संरक्षण / 123 / 183 भोपाल, दिनांक 7-1-2016

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल